उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-168/2017/1517/92-2-16-01जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 18 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के कार्यकाल में की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं उच्चाधिकारियो के आदेशों की अवहेलना करने, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने तथा शासकीय क्षति छिपाने आदि में अनियमितताओ हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सुरेश कुमार दीक्षित, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के नियम-351ए अंतर्गत आरोप पत्र देकर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-44/2017/01/92-2-17-01जांच/2017 दिनांक 10-03-2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 12-07-2017 को शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित तीनो आरोप स्थापित न पाये जाने पर श्री सुरेश कुमार दीक्षित, (से0नि0) तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 10.03.2017 को एतदद्वारा इस शर्त के साथ समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि यदि उनके विरूद्व अब भी कोई देयता अवशेष हो तो उसकी वसूली श्री दीक्षित के सेवानैवृत्तिक देयको से कर ली जायेगी।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-168/2017/1517(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सुरेश कुमार दीक्षित, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in